बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

संकल्प

विषय:- बिहार भवन/बिहार निवास में कमरों के आरक्षण एवं स्टाफ कार के आवंटन के संबंध में मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित करने के संबंध में ।

बिहार निवास/बिहार भवन में कमरों के आरक्षण एवं स्टाफ कार के आवंटन के संबंध में मार्गदर्शन सिद्धांत बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था । इस विषय पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात राज्य सरकार ने बिहार भवन/बिहार निवास के आरक्षण एवं स्टाफ कार के आवंटन के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित किया है :-

1. बिहार निवास में कमरे के आरक्षण की पात्रता

(क) महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्य मंत्री का सूट बिहार निवास में स्थायी रूप से कर्णांकित रहेंगे तथा इसका आरक्षण किसी भी अन्य महानुभाव के लिए नहीं होगा ।

(ख) राज्य के सांसद जिन्हें नई दिल्ली में आवास आवंटित नहीं हुए है आवंटन की अवधि तक एक कमरा का आवंटन किया जायगा ।

(ग) बिहार विधान सभा की समितियों के अध्यक्ष सहित सदस्यों का आरक्षण किया जायगा । दिल्ली दौरे का अनुमोदन अध्यक्ष द्वारा होने पर उनकी यात्रा सरकारी होगी अन्यथा गैर सरकारी मानी जायगी ।

(घ) बिहार विधान परिषद की समितियों के अध्यक्ष सहित सदस्यों का आरक्षण किया जायगा । दौरे का अनुमोदन सभापति द्वारा होने पर उनकी यात्रा सरकारी मानी जायेगी अन्यथा गैर सरकारी होगी ।

(ङ) अध्यक्ष/सदस्य, बिहार लोक सेवा आयोग का आरक्षण ।

(च) मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री का आरक्षण ।

(छ) मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री का दर्जा प्राप्त महानुभावों का आरक्षण ।

(ज) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/बिहार लोक उपक्रम/पर्षद/स्वशासी इकाईयों को बिहार निवास के कमरे में आरक्षण अनुमान्य होगा ।

(झ) पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीशों के लिए बिहार निवास के कमरे आरक्षित होंगे ।

(क्र०पृ०उ०-2)

2. बिहार भवन में कमरे के लिए आरक्षण की पात्रता

बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों/बिहार न्यायाधिक सेवा के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बिहार भवन के कमरे आरक्षित किये जायेंगे ।

3. बिहार भवन/बिहार निवास के कमरे का आरक्षण देने की अधिकार

(क) बिहार भवन/बिहार निवास के कमरों का आरक्षण मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) द्वारा किया जायगा ।

(ख) बिहार निवास के चार कमरे एवं बिहार भवन के पाँच कमरें स्थानिक आयुक्त के स्तर से आरक्षित होंगे ।

(ग) जिन व्यक्तियों के नाम से बिहार भवन/बिहार निवास में कमरा आरक्षित किया जायेगा उन्हें ही कमरा अनुमान्य होगी । कमरे का आरक्षण हस्तांतरणीय नहीं होगा ।

4. कमरे आरक्षण की अवधि

(क) सामान्य रूप से कमरे का आरक्षण पाँच दिनों के लिए किया जायेगा । जिसकी अवधि प्रत्येक दिन के लिए 12 बजे दिन से दूसरे दिन 12 बजे दिन तक के लिए कमरा आरक्षण होगा ।

(ख) स्थानांतरण पर दिल्ली जाने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक 60 दिनों के लिए कमरों का आरक्षण किया जायेगा ।

(ग) प्रशिक्षण पर दिल्ली जानेवाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण की अवधि (अधिकतम 30 दिन) के लिए बिहार भवन में कमरा आरक्षित किया जायेगा ।

5. वैसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें आरक्षण अनुमान्य नहीं है ।

जब कमरे का आरक्षण अनुमान्य श्रेणी के लिए नहीं हुआ है एवं रिक्त है तब पूर्व सांसद/पूर्व विधायक सेवा निवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी, पत्रकार, आदि को गैर सरकारी दर पर बिहार निवास/बिहार भवन के कमरे का आरक्षण किया जा सकता है ।

6. बिहार भवन/बिहार निवास में आरक्षण की दर

सरकारी कार्य से दिल्ली जानेवाले व्यक्तियों के लिए प्रति कमरा वर्त्तमान दर 16 (सोलह) रूपया प्रति दिन यथावत रहेगा । इसी प्रकार जो व्यक्ति बिहार भवन/बिहार निवास में ठहरने के लिए अधिकृत है वे यदि गैर सरकारी

(क्र०पृ०30-3)

कार्य पर जाते है तो 50 (पचास) रुपया प्रति दिन (एस०सी०चार्ज अतिरिक्त) लिया जायेगा । परन्तु जो व्यक्ति बिहार भवन/बिहार निवास में ठहरने के लिए प्राधिकृत नहीं है, (जैसे कि सेवा निवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी, पत्रकार, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद इत्यादि) उनसे 250 (दो सौ पच्चास) रुपया प्रतिदिन (एस०सी०चार्ज अतिरिक्त) लिया जायेगा ।

7. बिहार भवन/बिहार निवास में स्टाफ कारों का आवंटन

(क) गाड़ियों के आवंटन में प्रथम प्राथमिकता अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद/मंत्रीगण, उपसभापति, उपाध्यक्ष, नेता-विरोधीदल, विधान परिषद में सदन के नेता तथा न्यायाधीशों को मिलेगी । इसके बाद प्राथमिकता में आयुक्त एवं उनके स्तर के पदाधिकारी आयेंगे जो सरकारी कार्य से दिल्ली जाते है ।

(ख) उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के बाद यदि स्टाफ कार उपलब्ध होगी तभी किसी अन्य पदाधिकारी को दी जायेगी और वह भी केवल सरकारी बैठक में भाग लेने के लिए तथा गाड़ी उनके लिए प्रतिक्षा नहीं करेगी । केवल बैठक के स्थान पर छोड़कर चली जायेगी । इसके अतिरिक्त किसी मामले में केवल मंत्रिमंडल सचिवालय अथवा स्थानिक आयुक्त के विशिष्ट आदेश से ही किसी व्यक्ति को भुगतान के आधार पर गाड़ी आवंटित की जायेगी।

(ग) ऐसे व्यक्ति जो कि मंत्री नहीं है जिन्हें केवल मंत्री का दर्जा प्राप्त है उन्हें किसी भी परिस्थिति में स्टाफ कार का आवंटन नहीं किया जायेगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बिहार गजट में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित कर दी जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(ह०) 31/3/97
(एस० पी० श्रीवास्तव)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक ए/बी05-1013/96मं०स०343/पटना-15, दिनांक 31 मार्च, 1997 ई०

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार पटना/राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समादेष्टा/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(ह०) 31/3/97

31

ज्ञापांक ए/ब05-10013/96सं०आ० 343/पटना-15, दिनांक 31 मार्च, 97 ई०

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी मंत्रियों के आप्त सचिव/सभी राज्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, बिहार विधान परिषद/सचिव, बिहार विधान सभा/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.3.97

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक ए/ब05-10013/96सं०आ० 343/पटना-15, दिनांक 31 मार्च, 1997 ई०

प्रतिलिपि:- स्थानिक आयुक्त, बिहार सरकार, नई दिल्ली/मुख्य प्रशासी पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली/लेखा पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.3.97

सरकार के उप सचिव।